भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4372
19 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

लहसुन और आलू आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ

4372. श्रीमती डिम्पल यादवः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैनपुरी में लहसुन और आलू आधारित प्रसंस्करण इकाइयों के प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या स्थानीय रूप से प्रशिक्षित युवाओं को कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ने के लिए कोई अभिसरण नीति लागू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं; और
(घ) मैनपुरी में कृषि उत्पादन को स्थानीय रोजगार सृजन से जोड़ने के लिए सरकार की समयबद्ध कार्य-योजना क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): लहसुन और आलू आधारित इकाइयों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं किसी क्षेत्र या राज्य विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मांग-आधारित हैं और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत , 31 दिसंबर 2025 तक मैनपुरी जिले में लहसुन प्रसंस्करण हेतु 22 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) एवं (घ): स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीपी) पद्धति अपनाई गई है, ताकि इनपुट की खरीद, साझा सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन में व्यापक पैमाने पर लाभ प्राप्त किया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के समन्वय के लिए ढांचा प्रदान करता है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के

सभी 75 जिलों के लिए ओडीपी उत्पादों की पहचान की गई है, जिसमें मैनपुरी जिले का लहसुन भी शामिल है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत ,एमओएफपीआई प्रशिक्षकों, जिला संसाधन व्यक्तियों, उद्यमियों और उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) तथा उत्पाद विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के लिए उद्यमियों, जिनमें महिला उद्यमी भी शामिल हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करना, साझा सुविधाओं का प्रावधान, इनक्यूबेशन केंद्र, प्रशिक्षण, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को भी शामिल किया गया है।

एमओएफपीआई , अपने दो स्वायत्त संस्थानों**,** राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली**,** हरियाणा (निफटेम- के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु (निफटेम**-** टी) के माध्यम से, उद्यमियों को मार्गदर्शन, सलाह, प्रशिक्षण**,** पायलट प्लांट जैसी सुविधाओं तक पहुंच, एनएबीएल **-**मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, इनक्यूबेशन सेवाएं, गुणवत्ता परीक्षण, आर एंड डी सहायता, नेटवर्किंग के अवसर आदि भी प्रदान करता है।

एमओएफपीआई अपनी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिलों सहित पूरे देश में पात्र संस्थाओं को अनुदान सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करता है और इस प्रकार गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित करता है।
